भूतपूर्व जजों और वकीलों के नाम खुला पत्र - न्यायालय का मान खतरे में है

अगर आप उच्च और सर्वोच्च न्यायालय के मान की रक्षा करना चाहते हैं तो कृपया आपके लेटर पैड पर, अपनी भाषा में, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृहमंत्री, राज्यपाल, मुख्य मंत्री, और पुलिस महानिदेशक को, संविधान, कानून और आदेशों के सारांश का विज्ञापन देने, आज ही पत्र लिखें। मेल और पोस्ट या फैक्स से भेजें।

सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक १६-११-९४ और उच्च न्यायालय ने २०-२-०३, ३१-१-०४, १२-११-१०, २-११-११ के अनुसार **गौवंश की कुर्बानी गैरकानूनी है।** फिर भी बड़े पैमाने पर हो रही है और सरकार इसे रोकने का पर्याप्त कदम नहीं उठा रही है। इसी प्रकार सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक २६-१०-२००५ के अनुसार तो किसी भी दिन गौवंश की हत्या नहीं हो सकती। फिर भी सरकार स्वयं कत्लखाने खोलने की अनुमति देती है और अनुदान भी देती है। संविधान और सर्वोच्च न्यायालय के मान की रक्षा आपका पत्र कर सकता हैं। **कृपया १० या अधिक साथी वकीलों को भी आज ही पत्र लिखने प्रेरित करें**।

चार्टर्ड अकाउंटेंटों के नाम खुला पत्र

किसी भी सफल उद्योग या व्यवसाय का आधार होता है, उसका अकॉउंटस और कानून सम्बन्धी खाना पूर्ति। ये दोनों काम आप करते हैं। इसप्रकार आप बड़ी कम्पनियों की अर्थ व्यवस्था के आधार हैं। किन्तु **पूरे देश की अर्थ व्यवस्था का आधार है देसी गौवंश**। १९४७ में मानव जनसँख्या थी ३३ करोड़, और गौधन था ११२ करोड़। २०१५ में मानव जनसँख्या १२० करोड़ हो गयी और देसी गौवंश केवल ८ करोड़ बचा है। १९४७ में १ डॉलर की कीमत १ रुपया थी। आज एक डॉलर की कीमत ६८ रूपये हो गयी। जैसे जैसे गौधन कम हो रहा है = रुपया कमजोर हो रहा है = देश की अर्थ व्यवस्था भी डूब रही है।

आप, गृहमंत्री और मुख्य सचिव आदि को पत्र लिख देश की अर्थ व्यवस्था और गौ माँ के प्राण बचा सकते हैं। उन्हें **संविधान के अनुच्छेद ४८ और ५१, पशु क्रूरता निवारक अधिनियम १९६०, और सर्वोच्च न्यायलय के आदेश दिनांक १६-११-९४ और २६-१०-२००५ के सारांश का विज्ञापन देने लिखना है।** ताकि जनता और कानून का पालन करवाने वालों को भी इनकी जानकारी हो जाये। अपने पत्र की प्रतिलिपि मीडिया और हमें दे सकते हैं। निवेदन है १० या अधिक साथियों, संतो, संस्थाओं को प्रेरित करें। गौरक्षा के क्षेत्र में अगर आपकी रूचि है तो कृपया संपर्क करें। आपको गौरक्षा के आधुनिक उपायों की जानकारी मिलेगी - जिससे गौ से अधिक आपका हित होगा। एक काम तो हम कर ही सकते हैं-किसी भी संस्था-गौशाला से ५०० से ५००० का सामान हर माह लेना और उसका प्रयोग करना/उपहार देना। इससे आपका पुण्य-पूंज, सुख-शांति, स्वास्थ्य-समृद्धि बढ़ेगी।

कंपनी सेक्रेटरीज के नाम खुला पत्र

कोई भी बड़ी या छोटी, लिमिटेड़ या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी आपके सेवाओं के बिना अपना अस्तित्व कायम नहीं रख सकती। इसीप्रकार हमारे बच्चे गाय के दूध के बिना जिन्दा नहीं रह सकते। जमीन/खेती गोबर-गौमूत्र के बिना फल-अन्न-सब्जी आदि पैदा नहीं कर सकती। अर्थात मानव मात्र, गौवंश के बिना जिन्दा नहीं रह सकता। इसीलिए हमारे पूर्वजों ने गौ को विश्व की माँ कहा था। आप प्रतिदिन अनेक पत्र लिखते हैं। कृपया आज ही ऐसा शक्तिशाली पत्र लिखें ताकि केंद्र व राज्य सरकारों को संविधान, कानून और आदेशों के सारांश का विज्ञापन देना पड़े।

आप, गृहमंत्री और मुख्य सचिव आदि को पत्र लिख देश की अर्थ व्यवस्था और गौ माँ के प्राण बचा सकते हैं। उन्हें **संविधान के अनुच्छेद ४८ और ५१, पशु क्रूरता निवारक अधिनियम १९६०, और सर्वोच्च न्यायलय के आदेश दिनांक १६-११-९४ और २६-१०-२००५ के सारांश का विज्ञापन देने लिखना है।** ताकि जनता और कानून का पालन करवाने वालों को भी इनकी जानकारी हो जाये। अपने पत्र की प्रतिलिपि मीडिया और हमें दे सकते हैं। निवेदन है १० या अधिक साथियों, संतो, संस्थाओं को प्रेरित करें। गौरक्षा के क्षेत्र में अगर आपकी रूचि है तो कृपया संपर्क करें। आपको गौरक्षा के आधुनिक उपायों की जानकारी मिलेगी - जिससे गौ से अधिक आपका हित होगा। एक काम तो हम कर ही सकते हैं-किसी भी संस्था-गौशाला से ५०० से ५००० का सामान हर माह लेना और उसका प्रयोग करना/उपहार देना। इससे आपका पुण्य-पूंज, सुख-शांति, स्वास्थ्य-समृद्धि बढ़ेगी।